न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2023 नामान्तरकरण अपील

1. मूस्या उर्फ सूस्या पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी गुल्लाना की थली तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल पुत्र बुद्धाराम (फौत)
1/1 नरेश पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी गुल्लाना की थली तहसील बसवा जिला दौसा।
1/2 माया पुत्री रामलाल पत्नि किशोर जाति बैरवा वार्ड संख्या 13 बांदीकुई जिला दौसा।
1/3 मीरा पुत्री रामलाल पत्नि चन्दरपाल जाति बैरवा वार्ड संख्या 13 बांदीकुई जिला दौसा।
1/4 लाली पुत्री रामलाल पत्नि रूपसिंह जाति बैरवा निवासी खेजडा का बास बांदीकुई जिला दौसा।
1/5 अनिता पुत्री रामलाल पत्नि गुलाबसिंह जाति बैरवा निवासी मांगीलाल पार्क नई दिल्ली।
1/6 बेबी पुत्री रामलाल पत्नि बबलू जाति बैरवा निवासी कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 16.06.1986 ग्राम गुल्लाना तहसील बसवा द्वारा तहसीलदार बसवा जिला दौसा

उपस्थिति :–: श्री पूरणमल बैरवा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 17.07.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के स्व. पिता कन्हैयालाल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ग्राम गुल्लाना तहसील बसवा में स्थित है। जिसके गत खसरा नम्बर 342/2 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा है एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.39 है. खसरा नम्बर 1845 रकबा 0.44 है. खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.35 है. खसरा नम्बर 1850/2042 रकबा 0.41 है. कुल रकबा 6.09 है. है। इस भूमि में अपीलान्ट के पिता कन्हैया का 1/3 हिस्सा है। अपीलान्ट मृतक कन्हैया का पुत्र है और इसका जायज व कानूनी वारिस है। अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई वारिस पुत्र आदि नहीं है, परन्तु अपीलान्ट के पिता की मृत्यू के बाद अवैध तरीके से अपीलान्ट के अलावा रामलाल के नाम भी कन्हैया का वारिस मानकर नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 16.06.1986 खोल दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामलाल के फौत होने पर रामलाल के वारिसान का नाम प्रस्तुत किये गये संशोधित टाइटल अनुसार रिकॉर्ड पर लिया गया एवं तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट ही मृतक कन्हैया पुत्र पून्या का एकमा[illegible] व वारिस है और मृतक कन्हैया की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट रामलाल न तो कन्हैया का पुत्र व वारिस है और ना ही उसकी खातेदारी भूमि पर काबिज रहा है। तहसीलदार बसवा को केवल मात्र अपीलान्ट के नाम ही नामान्तरकरण खोला जाना था [illegible] रामलाल ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर अपीलान्ट के साथ ही अपने नाम भी नामान्तरकरण खुलवा लिया। रेस्पोडेन्ट रामलाल पढा लिखा चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसने अपीलान्ट के अनपढ व नासमझ होने का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व अधिकारियों को गलत जानकारी देकर अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवा लिया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट रामलाल के पिता का नाम तो बुद्धाराम है जो निर्वाचन नामावली 2014 के भाग संख्या 129 में क्रम संख्या 301 पर भी दर्ज होने से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट रामलाल बुद्धाराम का पुत्र है परन्तु उसने गलत जानकारी देकर अपीलान्ट के पिता मृतक कन्हैया का पुत्र होना बताकर गलत नामान्तरकरण खुलवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कन्हैया के वारिसान के बारे में जांच नहीं कराई तथा पटवारी ने भी इस सम्बन्ध में कोई जांच या पूछताछ नहीं की। पटवारी हल्का ने दिनांक 16.06.1986 को यह रिपोर्ट की है जिसमे उसने यह भी नहीं लिखा कि कन्हैया के कौन–कौन वारिसान है। पटवारी की इस रिपोर्ट के आधार पर ही दिनांक 16.06.1986 को ही भू अभिलेख निरीक्षक ने भी रिपोर्ट कर दी और इसी दिन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार सारी कार्यवाही एक ही दिन में कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं अवैध है। नरेश कुमार पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गुल्लाना तहसील बसवा द्वारा एक दावा दुरूस्ती रिकॉर्ड हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में पेश किया हुआ है, जिसमे वादी नरेश कुमार द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1845 रकबा 0.44 है. खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.35 है. वाके रामा गुल्लाना तहसील बसवा में वादी के पिता रामलाल पुत्र कन्हैया की बजाय रामलाल पुत्र बुद्धाराम दर्ज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी के नाम भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि रामलाल का पिता बुद्धाराम था ना कि कन्हैया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा द्वारा भी दिनांक 20.11.2021 को अभियुक्त रामलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 420 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मृतक कन्हैयालाल तथा वादी की दादी गोरा रिश्ते में भाई बहन थे। जिन्होने वादी के मृतक दादा बुद्धाराम के खून पसीने की गाढी कमाई से संयुक्त रूप से मृतक कन्हैयालाल के साथ वादी की दादी गोरा देवी ने भूमि मुतदाविया को क्रय किया था, परन्तु भूमि कन्हैयालाल के नाम ही चली आ रही थी। वादी का पिता रामलाल जो कन्हैयालाल के रिश्ते में मामा लगता था के पास ही रहता था क्योंकि मृतक कन्हैयालाल के कोई पुत्र या पुत्री सन्तान नहीं थी तथा अपनी मां गोरा देवी के साथ अपने मामा की सेवा सुश्रुसा करता था, बाद में कन्हैयालाल के एक पुत्र मुस्या पैदा हुआ जो कन्हैयालाल के बहुत सालों के बाद पैदा होने के कारण वादी के पिता रामलाल को बहुत प्यार करता था तथा रामलाल व मुस्या दोनो भाई की तरह ही एक ही घर में निवास करते थे तथा एक साथ ही खाना, पीना, पढना, खेलना करते थे। गांव के सभी लोग उन दोनो को भाई समझते थे। रेस्पोडेन्ट रामलाल के मामा कन्हैयालाल के फौत हो जाने पर गांव के लोगो ने ग्राम पंचायत गुल्लाना में राजस्व शिविर में गांवा के लोगो द्वारा दोनो को भाई बता दिया और गांव के लोगो के बताये अनुसार ही नामान्तरकरण खोलते समय रामलाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज कर दिया। जिसको शुद्ध कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 नरेश कुमार द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में दावा दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं खुलवाये जाने नामान्तरकरण आराजी खसरा नम्बर 1845, 1850 ग्राम गुल्लाना तहसील बसवा मुकदमा नम्बर 162/2017 पेश किया गया है जो विचाराधीन है। अपीलान्ट मूस्या उर्फ सूस्या जाति बैरवा निवासी गुल्लाना की थली तहसील बसवा द्वारा लिखावट इकरारनामा न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें स्वीकार किया गया है कि रामलाल पुत्र बुद्धाराम, मूस्या उर्फ सूस्या दोनो रिश्ते में आपस में मामा बुआ के भाई है। जिनके संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 342/2 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा है एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.39 है. खसरा नम्बर 1845 रकबा 0.44 है. खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.35 है. खसरा नम्बर 1850/2042 रकबा 0.41 है. कुल रकबा 6 बीघा [illegible] है। जो ग्राम गुल्लाना में स्थित है, जिसमे दोनो पक्षकारों का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा [illegible] पर [illegible] का सरस–नरस बंटवारा कर रखा है तथा रामलाल अपने हिस्से की 3 बीघा 3.5 बिस्वा भूमि [illegible] पिछले 60 वर्षो से काबिज है एवं काश्त कर कमाता खाता आ रहा है। उक्त भूमि पूर्व में [illegible] के पिता कन्हैयालाल पुत्र पून्या के नाम से खरीदारी चली आ रही थी। जिसे [illegible] कन्हैयालाल एवं रामलाल की मां गोरा देवी ने बराबर–बराबर रूपये देकर क्रय की थी लेकिन उक्त भूमि का कन्हैयालाल पुत्र पून्या के नाम रजिस्ट्री कराकर नामान्तरकरण खुलवा लिया था। उक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षों के बीच वाद विवाद हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:20 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था जिसे आपसी सहमति से सुलझाकर राजीनामा कर लिया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण करवाकर द्वितीय पक्ष के हक में रजिस्ट्री करवा दुंगा एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल पुत्र कन्हैया की जगह रामलाल पुत्र बुद्धाराम करवा दुंगा। इसके अलावा राजीनामा लिखावट में भी मूस्या उर्फ सूस्या द्वारा यह अंकित किया गया है कि दोनो पक्षकारान के मध्य जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे है तथा द्वितीय पक्ष के खिलाफ न्यायालय एडीएम दौसा के यहां नामान्तरकरण की अपील कर रखी है एवं पुलिस थाना बसवा में एफ.आई.आर. संख्या 33/15 में मुकदमा दर्ज करा रखा है उन दोनो मुकदमों को स्वयं के खर्चे पर वापिस ले लुंगा। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण में उक्त प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट्स की होना स्वीकार किया है एवं दूसरी ओर इस न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में वाद विचाराधीन है। जिसके द्वारा पक्षकारान के हक निर्धारित होने के कारण विचाराधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested